



CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी

नीतू

शोधार्थी, शिक्षा विभाग

प्रो. कविता मिश्र

प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

neetukumari1051987@gmail.com Mobile-90585 98735

First draft received: 15.09.2024, Reviewed: 18.09.2024, Final proof received: 21.09.2024, Accepted: 23.09.2024

सार संक्षेप

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी के अध्ययन को वर्णित किया गया है। प्रतिदर्श चयन हेतु यादृच्छिक विधि का उपयोग करते हुए 558 विद्यार्थियों के अभिभावकों को लिया गया है। जिसमें 238 बालक व 320 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। शोधार्थी ने सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण हेतु माध्य, प्रमाणिक विचलन, टी-परीक्षण और प्रतिशत सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया। परिणाम बताते हैं कि शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी बालक और बालिकाओं की समान होती है। ग्रामीण व शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी में भी सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। सामाजिक प्रस्थिति के सन्दर्भ में अभिभावकों की शिक्षा में भागीदारी समान पायी गयी। अन्त में अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर माध्यमिक योग्यता वाले अभिभावकों की शिक्षा में भागीदारी अधिक पायी गयी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक योग्यता वाले अभिभावकों की अपेक्षा। स्नातक,परास्नातक योग्यता वाले अभिभावकों की शिक्षा में भागीदारी अधिक पायी गयी माध्यमिक योग्यता वाले अभिभावकों की अपेक्षा।

मुख्य बिंदु- अभिभावकीय भागीदारी, विद्यालय प्रस्थिति, सामाजिक प्रस्थिति, अभिभावक शैक्षिक योग्यता

प्रस्तावना

शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो जीवन को निरन्तर नया रूप और नये आयाम प्रदान करती है। सनातन काल से ही शिक्षा का लक्ष्य मानव का विकास करना रहा है। मानव विकास का अर्थ है- मानव तथा उसके लघु संस्करण (बालक/विद्यार्थी) में मूलभूत गुणों का समस्त दिशा में विकास हो जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो सके। अतः मानव की अन्तर्निहित योग्यताओं को विकसित कर शिक्षा द्वारा उन्हें समाज सम्मत बनाया जाता है।

गाँधी जी के अनुसार " शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है।"

इस प्रकार से शिक्षा वह साधन है जो व्यक्ति की अन्तर्निहित योग्यता के विकास के साथ ही उसे आवश्यक कौशलों व गुणों से भी युक्त करती है। बाल्यकाल में व्यक्ति की शिक्षा पिछा के दो अहम केन्द्र परिवार एवं विद्यालय होते हैं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है जहाँ से वह अनौपचारिक रूप में शिक्षा की शुरुआत करता है। अनेक छोटी-छोटी क्रियाओं, दैनिक आदतों से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की सीख बालक सर्वप्रथम अपने माता-पिता व परिवार से ग्रहण करता है। माता-पिता बच्चों को लाड़-प्यार देने के साथ ही साथ उनके वांछित व्यवहारों को प्रोत्साहित, प्रशंसित उत्साहवर्धित करते हैं एवं आवश्यकतानुसार अनुचित व्यवहारों पर नियन्त्रण भी प्रदर्शित करते हैं।

औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा में अभिभावकीय (माता-पिता) भूमिका मनोवैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का ध्यान आकर्षण केन्द्र रही है। अभिभावकीय संलग्नता को अलग-अलग नामों व संदर्भ में अध्ययन करने के अनेक प्रयास किये गये हैं। जैसे कि अभिभावकीय प्रोत्साहन (Parental Encouragement), अभिभावकीय-भूमिका, (Parental-Role), अभिभावकीय-भागीदारी (Parental Involvement/Participation) आदि। अनेक अध्ययन अभिभावक-बालक सम्बंध (Parent Child Relationship)

गृह-वातावरण, (Home Environment), अभिभावकीय-अनुशासन (Parental Discipline) सम्बन्धी सम्प्रत्ययों पर भी

दृष्टिगोचर होते हैं। जो बालक की शिक्षा में परिवार व माता-पिता की भूमिका, स्थिति, महत्व और प्रभाव को उजागर करते हैं।

अभिभावकीय-भागीदारी का अर्थ है माता-पिता द्वारा बच्चों की समस्त शारीरिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें भी पूरी करना है। बालक का अच्छे स्कूल में प्रवेश पाठ्यपुस्तकें, गणवेश आवश्यक शैक्षिक संसाधनों व अध्ययन हेतु समय उपलब्ध करवाना व उसकी अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों का निवारण करना आदि अभिभावकीय कार्य में आता है। बालक की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी के प्रत्यय का स्पष्टीकरण निम्न परिभाषाओं द्वारा भी होता है-

सैंडर्स एण्ड साइमन (1997) के अनुसार शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी को 5 आयामों में विभाजित किया जा सकता है। पालन-पोषण, प्रदत्त गृहकार्य में मदद करना, विद्यालय के शिक्षकों के साथ संवाद करना, विद्यालय सम्बन्धी क्रियाओं में शामिल होना व विद्यालय की निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी।

कोल एवं अन्य (2000) ने शिक्षा में अभिभावक की भागीदारी का एक मॉडल विकसित किया जिसमें माता-पिता की भागीदारी से सम्बन्धित 6 अलग-अलग पहलुओं को शामिल किया गया है जैसे- अभिभावक-शिक्षक सम्पर्क, विद्यालय में अभिभावक की भागीदारी, अभिभावक शिक्षक संबंध की गुणवत्ता, अभिभावकों के शिक्षा मूल्य के सम्बन्ध में, शिक्षक प्रत्यक्षीकरण, घर में अभिभावक की भागीदारी, विद्यालय के प्रति अभिभावक समर्थन।

No Child Left Behind (NCLB)], United States Education [2001] द्वारा अभिभावकीय भागीदारी को नियमित सहभागिता, द्विपक्षीय प्रक्रिया एवं विद्यार्थी की अकादमिक अधिगम व अन्य विद्यालयी क्रियाओं में सहभागिता सम्बन्धी अर्थपूर्ण सम्प्रेषण के रूप में परिभाषित किया गया है।

इन परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी की कुछ विशेषताएँ प्रत्यक्ष होती हैं। जैसे कि—

- अभिभावक भागीदारी एक निरन्तर/नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत अभिभावक लगातार बच्चों से पढ़ने व विद्यालय क्रियाओं के सन्दर्भ में बातचीत करते हैं। वे लगातार उनके नियमित अध्ययन का अवलोकन करते हैं, अधिगम कठिनाई को पहचानते/समझते हैं, बालक की शैक्षिक प्रगति को अनुमोदित, प्रशंसित, पुरस्कृत व प्रोत्साहित करते हैं।
- अभिभावकीय भागीदारी द्विपक्षीय भागीदारी है। अभिभावक का शिक्षक से तथा शिक्षक का अभिभावक से सम्पर्क होना आवश्यक है। विद्यालय में प्रधानाचार्य व शिक्षकों से बच्चे के विषय में जानकारी प्राप्त करना या प्रधानाचार्य व शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थी के अधिगम व उपलब्धि की जानकारी अभिभावक को देना इसमें शामिल है।
- अभिभावक द्वारा विद्यालयी कार्यक्रमों व नीति-नियमों का ज्ञान होना, आवश्यक क्रियाओं में शामिल/उपस्थित होना विद्यालय के प्रयासों में समर्थन व अपने सुझाव देना भी अभिभावक-भागीदारी का महत्वपूर्ण रूप है।
- अभिभावक भागीदारी का स्वरूप शिक्षा के अलग-अलग स्तरों पर भिन्नतापूर्ण होता है।
- अभिभावक बदलते समय के अनुरूप अपने बालक की गुणवत्तापरक शिक्षा की विद्यालय से अपेक्षा रखते हैं।
- विद्यालय प्रशासक व शिक्षक भी यह स्वीकार करते हैं कि बालक की शिक्षा में अभिभावक जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें व उनका सहयोग करें।

बालक की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी के विभिन्न पहलुओं को देखने के बाद यह भी स्पष्ट होता है कि बालक की शिक्षा में अलग-अलग अभिभावकों की भागीदारी भिन्न-भिन्न होती है। कुछ अभिभावक निरन्तर अपने बच्चों के साथ शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं व गतिविधियों पर अन्तःक्रिया करते हैं, वे उनको आवश्यक मार्गदर्शन व सुझाव देते हैं, वांछित व्यवहारों को प्रोत्साहन व प्रशंसित करते हैं और उनकी अवांछित क्रियाओं में प्रतिबन्ध लगाते हैं। विद्यालय में भी अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता होती है और यह सहभागिता बालक के अधिगम को प्रभावित करती है।

अभिभावकीय भागीदारी स्वयं माता-पिता की एवं शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण से भी प्रभावित होती है। यदि अभिभावक शिक्षित हैं, शिक्षा के मूल्य, व इसकी उपयोगिता के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं तो उनकी भागीदारी उन अभिभावकों से भिन्न हो जाती है जो शिक्षा के प्रति कम जागरूक या नकारात्मक दृष्टिकोण लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त माता-पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रस्थिति, कार्य प्रकृति, घर में बच्चों की संख्या, बालक-लिंग भेद भी उनकी अभिभावकीय शैक्षिक भागीदारी को प्रभावित करता है।

अभिभावकीय भागीदारी का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव में बालक की रुचियाँ बनती हैं व उनको प्रोत्साहन मिलता है पढ़ाई में रुचि लेता है और अपने कैरियर को लेकर आशान्वित रहता है। इसके विपरीत यदि माता-पिता की सहभागिता कम होती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव बालक पर विद्यालय में मन न लगना, पढ़ने में अरुचि, ध्यान केंद्रण में कमी, टालमटोल व्यवहार व शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति के रूप में दिखायी पड़ता है। विद्यालयी- शिक्षा के स्तर पर एक प्रमुख समस्या अपव्यय व अवरोधन/ विद्यालय छोड़ने की पायी जाती है। जिसमें कहीं न कहीं उपयुक्त अभिभावकीय-भागीदारी का न होना भी एक कारण हो सकता है।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट सन्दर्भों में विद्यालयी- शिक्षा में अभिभावक-भागीदारी व उसके प्रभाव का अध्ययन गहनता से किया जाए।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि बालक की शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र विद्यालय है। विद्यालय बालक को औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यह शिक्षा पूर्व प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तक होती है। विद्यालयी शिक्षा में बालक नये ज्ञान, कौशल, रुचियों, आदतों, मूल्यों व अभिवृत्तियों आदि को सीखते हैं। विद्यालय बालक को अनेक सामाजिक व नैतिक गुणों की भी शिक्षा देता है क्योंकि यह समाज का लघुतम रूप होता है। विद्यालय के अन्तर्गत ही बालक शिक्षा की आवश्यकता व इसके महत्व से परिचित होता है।

इवी सचमिड और वीरल गिल (2021) द्वारा पेरेन्टल इनवाल्वमेंट एण्ड एजुकेशनल सकारिस अमंग वनेरुलेवल स्टूडेंट्स इन वोकेशनल एजुकेशन एण्ड ट्रेडिंग विषय पर अध्ययन किया। अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में नार्वे शहर में उच्च माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वी0 इ0 टी0) के दूसरे वर्ष के 25 छात्रों को चयनित किया गया। अध्ययन हेतु अर्धसंरचित सक्षात्कार का उपयोग किया गया। अनुशासन के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि माता-पिता के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के आधार पर भागीदारी और स्तर काफी भिन्न होते हैं और इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है।

मरियम अलार्थी (2023) के द्वारा पेरेन्टल इनवाल्वमेंट इन चिल्ड्रन ऑन लाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड 19, ए फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी इन साउदी अरेबिया विषय पर अध्ययन किया। यह अध्ययन कोविड 19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी पर केन्द्रित था। अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में साऊदी अरब के पश्चिमी प्रांत के 6 अभिभावकों को लिया गया। जिन्होंने स्वेच्छा से अध्ययन में भाग लिया। प्रदत्त एकत्र करने हेतु अभिभावकों का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन में पाया गया कि स्कूली शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी कोविड 19 महामारी के दौरान प्रभावित हुई। इसके अलावा साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि माता-पिता को बच्चों की ई-लर्निंग में अपनी भागीदारी को बदलना पड़ा।

समस्या कथन

उच्च प्राथमिक स्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी।

अध्ययन उद्देश्य

विद्यार्थी लिंग-भेद के सन्दर्भ में अभिभावकीय भागीदारी का अध्ययन करना।

विद्यालय स्थिति के सन्दर्भ में अभिभावकीय भागीदारी का अध्ययन करना।

अभिभावक सामाजिक प्रस्थिति के सन्दर्भ में अभिभावकीय भागीदारी का अध्ययन करना।

अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के सन्दर्भ में अभिभावकीय भागीदारी का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएं

1. लिंग-भेद के सन्दर्भ में

उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंग-भेद के सन्दर्भ में अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है

2. विद्यालय स्थिति के सन्दर्भ में

उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय स्थिति के सन्दर्भ में अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है

3. सामाजिक प्रस्थिति के सन्दर्भ में

3.1 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है।

3.2 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य वर्ग व अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है।

3.3 उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है।

4. शैक्षिक योग्यता के सन्दर्भ में

4.1 उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक-उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शैक्षिक योग्यता वाले अभिभावकों में सार्थक अंतर नहीं होता है।

4.2 उच्च प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक व स्नातक-परास्नातक शैक्षिक योग्यता वाले अभिभावकों में सार्थक अंतर नहीं होता है।

4.3 उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक-उच्च प्राथमिक व स्नातक-परास्नातक शैक्षिक योग्यता वाले अभिभावकों में सार्थक अंतर नहीं होता है।

जनसंख्या व न्यायदर्श

उत्तर- प्रदेश राज्य के मैनपुरी तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 के विद्यार्थी प्रस्तुत शोध की जनसंख्या है शोध प्रतिदर्श के रूप में इन विद्यालयों से 558 विद्यार्थियों के अभिभावकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया जिसमें 238 बालक व 320 बालिकाओं के अभिभावकों को सम्मिलित किया गया है।

शोध उपकरण

रीता चोपड़ा और सुरबाला साहू द्वारा निर्मित पेरेन्टल इन्वॉल्वमेंट स्केल मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में वर्णात्मक सांख्यिकीय एवं आनुमानिक सांख्यिकीय दोनों का ही उपयोग प्रदत्त विश्लेषण हेतु किया गया है। वर्णात्मक सांख्यिकीय के अन्तर्गत माध्य (mean), प्रामाणिक विचलन (SD) एवं

प्रदत्तों का रेखा चित्रिय प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया है। आनुमानिक सांख्यिकीय के अन्तर्गत टी टेस्ट (t test) का प्रयोग किया गया है।

शोध प्रक्रिया


सर्वप्रथम मैनपुरी तहसील में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग (मैनपुरी) से प्राप्त की गयी। जिसमें से 30 उच्च विद्यालयों को शोध हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आधार पर चयन किया गया। चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से सम्पर्क स्थापित कर विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा शोध उपकरण पर अनुक्रियायें प्राप्त की गयी।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

लिंगवार विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी के मध्यमानों में अन्तर का सार्थकता स्तर

तालिका 1.1

लिंग-भेद	N	मध्यमान	SD	df	प्राप्त टी मूल्य	टी का सारणी मूल्य	सार्थकता स्तर	परिकल्पना की जाँच
बालक	238	72.89	7.557	556	.992	0.001	2.58	स्वीकृति
बालिकायें	320	72.24	7.849					




रेखा चित्र 1.1

तालिका व रेखा चित्र 1.1 में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन बालकों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी का मध्यमान 72.89 व प्रमाणिक विचलन 7.557 है। बालिकाओं की शिक्षा में दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का ही मूल्य का मध्यमान 72.24 व प्रमाणिक विचलन 7.848 दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य .992 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य .992 सारणी मूल्य से कम है। अतः बालक तथा बालिकाओं की अभिभावकीय भागीदारी के दोनों माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना 1 उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंग-भेद के सन्दर्भ में अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है स्वीकृति होती है।

तालिका 1.2

विद्यालय स्थितिवार अभिभावकों के मध्यमानों में अन्तर का सार्थकता स्तर

विद्यालय स्थिति	N	मध्यमान	SD	df	प्राप्त टी मूल्य	टी का सारणी मूल्य	सार्थकता स्तर	परिकल्पना की जाँच
ग्रामीण	332	71.66	7.724	556	1.037	0.001	2.58	स्वीकृति
शहरी	226	72.32	7.149					




रेखाचित्र 1.2

तालिका व रेखाचित्र 1.2 में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी का मध्यमान 71.66 व प्रमाणिक विचलन 7.724 है। शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी का मध्यमान 72.32 व प्रमाणिक विचलन 7.149 है। दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य 1.037 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य 2.66 सारणी मूल्य से कम है। अतः ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना-2 उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय स्थिति के सन्दर्भ में अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है स्वीकृति होती है।

तालिका 1.3

सांख्यिकीय विश्लेषण अभिभावकों की भागीदारी में अन्तर का सार्थकता स्तर

सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित वर्ग
33	22	22
71.66	72.93	72.77
7.724	7.247	7.576
556	556	556
1.037	1.037	1.037
0.001	0.001	0.001
2.58	2.58	2.58
स्वीकृति	स्वीकृति	स्वीकृति



रेखा चित्र 1.3


तालिका व रेखा चित्र 1.3 में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी का मध्यमान 72.93 व प्रमाणिक विचलन 7.247 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी का मध्यमान 71.66 व प्रमाणिक विचलन 7.528 है। दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य 1.984 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य 1.984 सारणी मूल्य से कम है। अतः सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना 3.1 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है स्वीकृति होती है।

इसी प्रकार तालिका व रेखा चित्र 1.3 में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी का मध्यमान 72.93 व प्रमाणिक विचलन 7.247 है। अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 72.77 व प्रमाणिक विचलन 7.576 है। दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य 0.151 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.

01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य 0.151 सारणी मूल्य से कम है। अतः सामान्य वर्ग व अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना 3.2 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य वर्ग व अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है स्वीकृत होती है।

अन्त में तालिका व रेखाचित्र 1.3 में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी का मध्यमान 71.41 व प्रमाणिक विचलन 7.528 है। हैं। अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 72.77 व प्रमाणिक विचलन 7.576 है। दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य 1.598 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य 1.598 सारणी मूल्य से कम है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना 3.3 उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं होता है स्वीकृत होती है।

शैक्षणिक स्तर	N	माध्यम	SS	SD	टी मूल्य	टी का सारणी मूल्य	प्रकार	परिकल्पना
उच्च प्राथमिक	541	71.41	3554	5.961	3.838	0.05	उच्च प्राथमिक	3.2
अन्य पिछड़ा वर्ग	184	76.45	7679	8.822	1.051	0.05	अन्य पिछड़ा वर्ग	4.3
अनुसूचित वर्ग	407	71.44	7384	8.051	1.051	0.05	अनुसूचित वर्ग	4.3



तालिका व रेखाचित्र 1.4 में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 71.64 व प्रमाणिक विचलन 7.554 है। माध्यमिक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 74.45 व प्रमाणिक विचलन 7.679 है। दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य 3.838 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य 3.838 सारणी मूल्य से अधिक है। अतः प्राथमिक, उच्च प्राथमिक + माध्यमिक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना 4.1 उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक - उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शैक्षिक योग्यता वाले अभिभावकों में सार्थक अंतर नहीं होता है अस्वीकृत होती है।

इसी प्रकार तालिका व रेखाचित्र 1.4 उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर माध्यमिक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 74.45 व प्रमाणिक विचलन 7.679 है। स्नातक परास्नातक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 77 व प्रमाणिक विचलन 8.451 है। दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य 1.051 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य 1.051 सारणी मूल्य से कम है। अतः योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना 4.2 उच्च प्राथमिक स्तर पर

माध्यमिक+ स्नातक परास्नातक शैक्षिक योग्यता वाले अभिभावकों में सार्थक अंतर नहीं होता है स्वीकृत होती है।

अन्त में तालिका व रेखाचित्र 1.4 पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 71.64 व प्रमाणिक विचलन 7.554 है। स्नातक परास्नातक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी का मध्यमान 77 व प्रमाणिक विचलन 8.451 है। दोनों माध्यों में अन्तर की सार्थकता का टी मूल्य 2.371 है। टी का सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर 1.964 तथा 0.01 स्तर पर 2.58 है। प्राप्त टी मूल्य 2.371 सारणी मूल्य से अधिक है। अतः प्राथमिक, उच्च प्राथमिक + स्नातक परास्नातक योग्यता रखने वाले अभिभावकों की भागीदारी में सार्थक अंतर पाया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना 4.3 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक + स्नातक परास्नातक शैक्षिक योग्यता वाले अभिभावकों में सार्थक अंतर नहीं होता है अस्वीकृत होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि लिंगवार बालकों व बालिकाओं की परिणाम बताते हैं कि लिंग वार शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी बालक और बालिकाओं की समान होती है। ग्रामीण व शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकीय भागीदारी समान पायी गयी। सामाजिक प्रस्थिति के सन्दर्भ में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों की शिक्षा में भागीदारी समान पायी गयी। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की शिक्षा में समान रूप से भागीदारी पायी गयी। अन्त में अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक योग्यता वाले अभिभावकों की शिक्षा में भागीदारी अधिक पायी गयी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक योग्यता वाले अभिभावकों की अपेक्षा। स्नातक,परास्नातक योग्यता वाले अभिभावकों की शिक्षा में भागीदारी अधिक पायी गयी माध्यमिक योग्यता वाले अभिभावकों की अपेक्षा। अतः कहा जा सकता है कि जिन अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता अधिक है उनकी शिक्षा में भागीदारी अधिक पायी गयी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपिल एच० के (2012), "अनुसंधान विधियाँ एच० पी० भार्गव बुक हाउस, 4 / 230 कचहरी घाट, आगरा-282004
2. कॉल लोकेश (2008), "शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली" विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि० 122 सेक्टर-4 नोएडा (यू०पी०) 201301
3. श्रीवास्तव डी० एन०, प्रीती वर्मा(2023) श्री विनोद पुस्तक भण्डार मन्दिर आगरा।
4. गैरेट हेनरी (2007) पैरागॉन इंटरगॉन इंटरनेशनल पब्लिश, अन्सारी रोड दरिया गंज, नई दिल्ली 110002 (भारत)।
5. लाल जे० एन० मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकीय वैशाली प्रकाशन बक्शीपुर गोरखपुर उ० प्र० 273001
6. इवी सचमिड और वीरल ग्लिल (2021) द्वारा पेरेन्टल इनवाल्वमेन्ट एण्ड एजुकेशनल सकसिस अमंग वनेरुलेवल स्टूडेण्ट इन वोकेशनल एजुकेशन एण्ड ट्रेडिंग
7. मरियम अलार्थी (2023) के द्वारा पेरेन्टल इनवाल्वमेन्ट इन चिल्ड्रनस ऑन लाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड 19, ए फिनोमिनोलिजिकल स्टडी इन साउदी अरेबिया
8. Misra Mohanty Statistics for behavioural and Social Sciences Sage Publications India pvt. Lta B1/I-1Mohan Cooperative Industrial Area Mathura Road,New Delhi 110044,India www.Sagepub.in